भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1079

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2026

एमएसएमई हेतु संरक्षण

1079. श्रीमती सागरिका घोष :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टी-आरईडीएस प्लेटफॉर्म पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के लिए अलग-अलग ब्याज दर संबंधी निर्देश लागू करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या एमएसएमई और बड़े निगमों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) नियमों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को बड़े निगमों और निर्यात निकायों के साथ विस्तारित करने का कोई प्रयास किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ब्याज दर कई कारकों जैसे क्रेता की क्रेडिट रेटिंग, मदसूची की श्रेणी, अवधि और आकार, पिछले भुगतान व्यवहार, लिक्विडिटी की स्थिति, वित्तपोषकों की लागत और बोली में प्रतिस्पर्धा का स्तर से प्रभावित होती है। ब्याज दरों का अंतिम रूप से निर्धारण वित्तपोषकों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और इनका निर्धारण क्रेता के क्रेडिट जोखिम और शक्ति से किया जाता है। आम तौर पर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से ब्याज दरें कम होती है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 18 प्रतिशत या उससे अधिक की ब्याज दर वाले किसी भी लेनदेन को दर्ज नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, सिडबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, औपचारिक ऋण का लाभ उठाने के संबंध में 75% प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, 8% ने पूर्ण रूप से अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता दर्शाई, जबकि 17% ने किसी भी प्रकार के ऋण का लाभ नहीं उठाया। यह सर्वेक्षण 19 क्षेत्रों में 2,097 एमएसएमई को कवर करते हुए संपूर्ण भारत के नमूना आधार पर किया गया था। (स्रोत: एसआईडीबीआई, भारतीय एमएसएमई क्षेत्र – प्रगति और चुनौतियों को समझना, मई 2025)।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने यह भी सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(एससीबी) का एमएसएमई क्षेत्र को कुल अग्रिम 35,83,337.55 करोड़ रुपए है, जबकि सकल एनपीए दिनांक 30.09.2025(वर्तमान वित्तीय वर्ष) तक 1,17,186.88 करोड़ रुपए है।

(घ) : उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) उन अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए है जिन्हें जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त है तथा इनकी शुरूआत ऐसे आईएमई को औपचारिक दायरे में लाना है जो जीएसटी की अनिवार्य सीमा से बाहर हैं।
